

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/30
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00030
CICOM/R/2017/01500

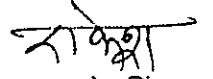
दिनांक: 05.02.2018

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख: 05.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलुजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.12.2018 (अपीलकर्ता से शायद भूलवश 23.01.2018 की जगह 23.12.2018 टंकित हो गया है)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित 01 नवम्बर, 2017 से लेकर आज तक केन्द्रीय सूचना आयोग एवं डी.ओ.पी.टी./यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी. के मध्य हुए सम्पूर्ण पत्राचार की प्रमाणित छाया प्रतियों की मांग की गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।
- संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन में अलग अलग पता दिया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 14.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्रीमती सविता तलुजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2017 को पत्र सं. 3/2/2017/Admin/CIC/ST/01500 के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित पते पर प्रेषित की गई थी, जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में अविलरित वापस आ गई है। यदि अपीलकर्ता चाहें तो केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय आकर प्रदान की गई सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
श्रीमती सविता तलुजा, अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

